प्राक्कथन

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन में संघ सरकार के आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/विभागों, उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और केन्द्रीय स्वायत् निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा परिणाम शामिल हैं। निकाय या प्राधिकरण, जो भारत के समेकित कोष से अनुदान/ऋण द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं, की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14(1) के प्रावधानों के तहत सीएडंएजी द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है।

3. इस प्रतिवेदन में वे उदाहरण वर्णित हैं जो 2017-18 की अवधि हेतु लेखापरीक्षा जाँच के दौरान पाए गए थे, साथ ही जो पिछले वर्षों में पाए गए किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए जा सके थे। 2017-18 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया गया है।

4. लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरुप की गई है।